

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक :

03 JAN 2023

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्राधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	11ए/2015 (प्रथम श्रेणी)	श्री किशन सहाय महानिरीक्षक, पुलिस आरएसी, राजस्थान, जयपुर	31.7.2026	एन-29, गांधीनगर (503, मॉडल टाउन के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
2.	15/2017	श्रीमती पायल शर्मा मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2046	II/2, गांधीनगर
3.	18/2017	श्रीमती सुशीला यादव उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर	31.12.2031	II/14, गांधीनगर
4.	26/2017	श्री महावीर मीणा अतिरिक्त निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर, ऑफिस रज, जयपुर	31.03.2039	II/15, गांधीनगर
5.	28/2017	डॉ० आशुतोष पंचोली सहायक आचार्य जनरल सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.10.2045	II/83 एवीएस्, गांधीनगर
6.	32/2017	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,आरएएस सचिव प्रशासन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर	30.06.2046	II/19, गांधीनगर
7.	36/2017	श्री आलोक चन्द्र शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान पुलिस,	31.10.2047	II/24, गांधीनगर
8.	40/2017	डॉ० हिमांशु महला सहायक आचार्य कॉर्डियोलोजी सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.04.2043	1/8 हीराबाग
9.	41/2017	श्री राजेश अरोडा विधि रचना अधिकारी विधि (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.04.2030	II/32, गांधीनगर
10.	42/2017	श्री गुरुशरण वर्मा, अधिशापी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग-द्वितीय, जयपुर।	28.02.2025	II/38, गांधीनगर
11.	44/2017	डॉ. प्रशान्त गुप्ता, सहायक आचार्य, यूरोलॉजी, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्य लय, जयपुर।	31.12.2042	3/3 हीराबाग
12.	45/2017	डॉ. बलवीर सिंह पाचार, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्य लय, जयपुर।	31.08.2034	5/8 हीराबाग
13.	47/2017	श्री उगन सिंह मीना, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्य लय, जयपुर।	31.07.2047	8/5 हीराबाग
14.	49/2017	डॉ सरोज कुमारी,	31.08.2044	II/42, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Mohan Gour
Designation: Assistant Secretary
Date: 2023.01.03 12:46:56 IST
Reason: Approved



		सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।		
15.	53/2017	श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2025	II/48, गांधीनगर
16.	54/2017	श्रीमती प्रतिभा पारीक उप शासन सचिव एवं संयुक्त मुख्य इलेक्ट्रॉल अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर	30.06.2039	II/50, गांधीनगर
17.	3/2018	डा. कृष्ण कुमार मावर असिस्टेंट प्रोफेसर स.मा.सि. चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	30.09.2030	II/67 एवीएस, गांधीनगर
18.	5/2018	श्री सुभाष चन्द गुप्ता डी.एल.आर विधि वादकरण शासन सचिवालय जयपुर	30.06.2024	एन-24, गांधीनगर
19.	7/2018	श्री विवेक कुमार कनकने सहायक प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी सवाई मानसिंह महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	31.03.2043	एम-05 गांधीनगर
20.	8/2018	श्री दिनेश गुर्जर ए.सी.पी. (डिप्टी डायरेक्टर), वन विभाग, जयपुर	31.07.2048	एम-06 गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 5 एवं 17 पर अंकित आवंटनी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 300/- (अब्बरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौर)
सहायक शासन सचिव

Signature valid

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Assistant Secretary
Date: 2023.07.27 12:46:56 IST
Reason: Approval

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस आर्म्ड बटालियन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक/प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चरसा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवायें।
20. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय)/हीराबाग जयपुर को सम्पलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by M. Mohan Gour
Designation: Assistant Secretary
Date: 2023.08.22 14:46:56 IST
Reason: Approved